

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

प्रेषक,

ई-मेल/फैक्स

सेवा में,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव ।

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:- 03/9/26

विषय:- पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित की गयी राशि का समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-3297(म), दिनांक-08.04.2026, पत्रांक- 5173(म), दिनांक-08.06.2026 एवं पत्रांक- 6799(म), दिनांक-22.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित की गयी राशि का समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था जो अबतक अप्राप्त है।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित की गयी राशि का समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (BTC Form-42A) में सभी वांछित अभिलेखों के साथ यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनु०- (BTC Form-42A)

विश्वासभाजन,

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

8

(8)
अनुसूचक-२

BTC FORM 42A
FORM UTILIZATION CERTIFICATE
(See Rule 271)

Major Head Treasury Not Payable at treasury
Sub Major Head DDO Code
Minor Head Bank Code
Sub Head Bill Code
ON CERTIFICATE No./Bill Ref No. Date:
OFFICE OF MONTH OF March 2020

1. Certified that out of Rs./- of Grants in aid sanctioned during the year 2023-24. in favour of under this Ministry/ Department letter no. given in the table below and Rs. Nil on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs./- has been utilized for the purpose for which it was sanctioned and that the balance of Rs. Remained unutilized at the end of the year 2018-19 has been surrendered to the Govt. vide letter No. dated will be adjusted toward the grants in aid payable during the next financial year

A. For the Grant to Government offices for various schemes

Certified that the remaining undrawn grant amount Rs./- (.....) has been surrendered vide letter no. dated and the remaining drawn grant amount Rs. has been deposited in the treasury vide challan no. Dated has been sent along with the surrender letter.

2. Kinds of checks exercised. (Audited Accounts, Cash Book, asset Register, Distribution Register Stock Register, Purchase Register etc.)

✓ I. Cash Book

✓ II. Allotment Register

✓ III. Distribution Register

✓ IV. Bill Book

3. Particulars of Grants in aid:

Sl. No.	Sanction letter no. and date	Name of the Grantee institution /office	Purpose of the grant/name of scheme	Bill No. Date	Amount of grants drawn	T.V. No & date	Amount UC	Balance Amount	Amount Surrendered (With letter No. & date)	Challan no. & Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

This is certified that

Signature & Stamp of Grantee Agency/Institution/Office

1. Audited Accounts Report has been obtained from the Grantee Agency/Institution & the same has been kept in this office.
- ✓ 2. This grantee Agency/Institution has been exempted from producing Audited Accounts Reports & in this case, Utilization Certificate is being counter signed on the basis of checking of Bill book, Cash book, Allotment register, Distribution register Books of Accounts/Records.

Counter signature & stamp by Sanctioned Disbursing Authority/Officer Authorized by him

Signature & Stamp of Drawing & Disbursing officer for the grant in aid

2

जी०आई०ए० से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला Check List

क्र०	विवरण	निर्देशी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्रमाण-पत्र (होना चाहिए)	राज्यादेश/स्वीकृतिपत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी अथवा नामित पदाधिकारी द्वारा जारी करने पर डी०डी०ओ० का प्रमाण-पत्र सही पाया गया या नहीं, सही पाये जाने पर ही करना है अन्यथा नहीं करना है।	महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रारंभिक जाँच में पदाधिकारियों का प्रमाण-पत्र सही पाया गया या नहीं, सही पाये जाने पर ही करना है अन्यथा नहीं करना है।	अ
1	उपयोगिता प्रमाण पत्र-विभाग के माध्यम से प्राप्त है।	हाँ	हाँ		
2	Utilisation फॉर्म 42 A में है एवं दिनांक 01.10.2011 अथवा बाद के मामले में जिस दिनांक के अन्तर्गत 1.10.2011 दिनांक 07.02.2014 का द्वारा संशोधित फॉर्म में है।	हाँ	हाँ		
3	Utilisation Certificate Sanctioning Authority द्वारा अथवा विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित है। (नामित होने के मामले में संबंधित आदेश को प्रति संलग्न होनी चाहिए)।	हाँ	हाँ		
4	इस कार्यालय में उपलब्ध डाटा बेस के अनुसार T.V No & Date से राशि का मिलान किया गया है। मिलान नहीं होने के स्थिति में कोषाधार का प्रमाण-पत्र अथवा CTMIS की सत्यापित प्रति संलग्न है।	हाँ	हाँ		
5	प्रत्येक Sanction के विरुद्ध अलग-अलग Utilisation दिया गया है।	हाँ	हाँ		
6	D.D.O. एवं Grantee Agency/Institution का Utilisation Certificate पर हस्ताक्षर स्वीकृतिपत्र के अनुरूप है।	हाँ	हाँ		
7	Utilisation Certificate Form 42- A पर सभी सूचनाएँ पूर्ण रूप में हैं।	हाँ	हाँ		
8	स्वीकृतिपत्र के अन्तर्गत सभी आवंटन आदेश संलग्न हैं।	हाँ	हाँ		
9	स्वीकृतिपत्र जो सहायक अनुदान से संबंधित है, संलग्न है।	हाँ	हाँ		
10	स्वीकृतिपत्र से संबंधित सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संगोपित राशि T.V. No & Date के साथ है।	हाँ	हाँ		
11	Kinds of Check exercise में सूचना पूर्ण है।	हाँ	हाँ		
12	दिनांक 01.10.2011 अथवा बाद के मामलों में Audited Column को बिन्दु (1) एवं (2) में से किसी एक का चयन किया गया है।	हाँ	हाँ		
13	संगोपित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि का Abstract से मिलान किया गया है।	हाँ	हाँ		
		डी०डी०ओ० का नाम, हस्ताक्षर, तिथि तथा मुहर	राज्यादेश/स्वीकृतिपत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी अथवा नामित पदाधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, तिथि तथा मुहर	महालेखाकार कार्यालय का पदाधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, तिथि, तथा मुहर	
	उपरोक्त बिन्दुओं को जाँचनेवाले सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार का नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर				
		नाम	हस्ताक्षर	तिथि	

टिप्पणी- प्रत्येक उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ इस प्रतिवेदन के तीन प्रतियाँ में संलग्न कर महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय में संगोपित किये जाने हेतु
परिवहन भवन स्थित संग्रहण केन्द्र पर सहायक प्राधिकृत आंतरिक वित्तीय सलाहकार को प्राप्त कराया जायेगा। सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रारंभिक
जाँच के बाद तत्काल इसकी एक प्रति पावती के रूप में प्रशासी विभाग को उपलब्ध कर दी जायेगी एवं अन्य दो प्रतियों के साथ इसे महालेखाकार कार्यालय में
संगोपित किया जायेगा। चेक लिस्ट की तीनों प्रतियों पर आई०डी० नं० अनिवार्य रूप से अंकित होगा। महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि प्राप्ति के साथ ही इसे
संबंधित अनुभाग में अद्यस्तित करेगा।